—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—116 / 2022 (जीसीएमएस नं0 2022 / 18)

उनवान —सरकार बनाम हरीसिंह कुशवाह पुत्र श्री तुस्सीराम कुशवाह ,उम्र 46 वर्ष, जाति कुशवाह , मालिक मैसर्स: कैलादेवी मावा भण्डार, लखन होटल के नीचे गंज दरवाजा, बाडी,धौलपुर निवासी कुशवाह बस्ती बगीची बाडी, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक —21.02.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री हरीसिंह कुशवाह पुत्र श्री तुस्सीराम कुशवाह ,उम्र 46 वर्ष, जाति कुशवाह , मालिक मैसर्स: कैलादेवी मावा भण्डार, लखन होटल के नीचे गंज दरवाजा, बाडी,धौलपुर निवासी कुशवाह बस्ती बगीची बाडी, धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 51 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.09.2022 को अभियुक्त / अप्रार्थी की दुकान मैसर्स : मैसर्स: कैलादेवी मावा भण्डार, लखन होटल के नीचे गंज दरवाजा, बाडी निरीक्षण के दौरान दुकान में फ्रीजर में पर लगभग 6 किलोग्राम पनीर आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त पनीर में मिलावट का शक होने पर उक्त पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त पनीर नमूना डी—2568 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 931 / एसीटी / 2022 / 931 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया पनीर सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेण्डर्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टेण्डर्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः हरीसिंह कुशवाह पुत्र श्री तुस्सीराम कुशवाह ,उम्र 46 वर्ष, जाति कुशवाह , मालिक मैसर्स: कैलादेवी मावा भण्डार, लखन होटल के नीचे गंज दरवाजा, बाडी,धौलपुर निवासी कुशवाह बस्ती बगीची बाडी, धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 21,000 / —रुपये (इक्कीस हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

Scanned with CamScanner